भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या–02 / 2024–25

तिथि	आदेश	कि गई कार्रवाई
29/4/24		

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अंचलाधिकारी बोड़ाम के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैः–

1. विक्रेता / दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता / दाता और क्रेता / ग्रहिता दोनों ही पिछड़ी जाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. ग्रहिता / क्रेता एवं दाता / विक्रेता दोनों ही एक ही जिला के निवासी हैं, जिस जिला के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरूद्व कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (ख) के अन्तर्गत विक्रेता / दाता :–**सुरुवाली महतो, पति–अतुल महतो, पिता–स्व0 सनातन महतो**, जाति–**कुर्मी**, ग्राम–**हलुदबनी**, थाना–**बोड़ाम**, अंचल–**बोड़ाम, जिला–पूर्वी सिंहभूम** को मूल्य–**2,00,000/**–रूपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता / ग्रहिता :–**1) पितम महतो, पिता–परिक्षित महतो, 2) जगदीश महतो, पिता–शशधर महतो**, जाति–**कुर्मी** ग्राम–**शुक्ला**, थाना–**बोड़ाम**, अंचल–**बोड़ाम, जिला– पूर्वी सिंहभूम** के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन,

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
शुक्ला	**85**	**65**	**1070**	**0.33ए0**

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

29/4/24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2024.08.12 13:08:48 +05:30
Location: 10.93.19.90